

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/304
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00266
CICOM/R/2018/01001

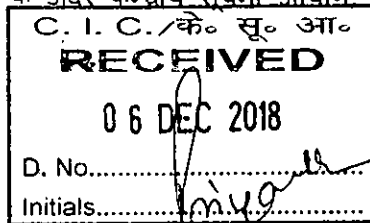
दिनांक: 05.12.2018

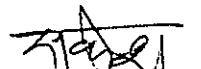
अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 05.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.11.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	537/27.11.2018 (5693/26.11.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव द्वारा अपीलकर्ता को प्रेषित पत्र सं. 22/01/2018/JS-Admn/CIC दिनांक 11.09.2018 से संबंधित दो विंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत संयुक्त सचिव (प्र0) से सहायता लेकर पत्र सं. CICOM/R/2018/01001 दिनांक 01.11.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

